

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आषाढ़ 14, 1938

No. 280]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ASADHA 14, 1938

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून 2016

सं. एल-1/44/2010-केविविआ.-केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की भागीदारी) विनियम, 2010 (मूल विनियम) भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग-III, खण्ड-IV, संख्या 162) में तारीख 16.6.2010 में अधिसूचित किए गए और उक्त विनियम विनिर्दिष्ट आरंभ की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.1.2011 से प्रवृत्त हुए थे। तत्पश्चात्, मूल विनियम के आरंभ की तारीख को अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010-केविविआ तारीख 31.03.2011 के माध्यम से 1.7.2011 तक पुनरीक्षित किया गया।

मूल विनियमों के चार संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खण्ड 4 में 25 नवम्बर, 2011, 28 मार्च, 2012, 07 अप्रैल, 2015 और 08 जुलाई, 2015 को अधिसूचित किया गया।

आयोग, अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की भागीदारी के प्रयोजन के लिए 5 वर्षों की और अवधि के लिए. समय-समय पर यथासंशोधित, मूल विनियम के प्रचालन को जारी रखना आवश्यक समझता है।

और, अतः अब, सभी संबंधितों को यह जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की भागीदारी) विनियम 2010, 1.7.2016 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे यदि इसकी आयोग द्वारा पहले समीक्षा न की गई हो या इसे बढ़ाया न गया हो।

शुभा शर्मा,सचिव

[विज्ञापन- III / 4 / असा. / 161(150)]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2016

No. L-1/44/2010-CERC.— Whereas Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 (Principal Regulations) was notified on 16.6.2010 in Gazette of India, Extraordinary (Part-III, Section-IV, No. 162) and the said regulations were to come into force with effect from 1.1.2011 for a period of 5 years from the date of commencement specified. Subsequently, the date of commencement of the Principal Regulations was revised to 1.7.2011 vide Notification No. L-1/44/2010-CERC dated 31.3.2011.

Whereas, four amendments of the Principal Regulations were notified on 25th November, 2011, 28th March, 2012, 7th April, 2015 and 8th July 2015 in the Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4.

Whereas, the Commission considers it necessary to continue operation of the Principal Regulations as amended from time to time for a further period of 5 years for the purpose of sharing of inter-State transmission charges and losses.

And, now, therefore, it is notified for the information of all concerned that the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 as amended from time to time shall remain in force for a period of five years with effect from 1.7.2016 unless reviewed earlier or extended by the Commission.

SHUBHA SARMA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./161(150)]